

To

| | |
|--|---|
| BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 | National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 |
| Scrip Code: 542752 | Symbol: AFFLE |

Sub: Intimation of newspaper publication of Notice under Section 201 of the Companies Act, 2013

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copy of the advertisements published in relation to filling of required e-form with the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) for re-appointment of Mr. Anuj Khanna Sohum (DIN: 01363666) as Managing Director of the Company. The said advertisement is published in the following newspapers on Wednesday, December 14, 2022.

- Financial Express (English Language National Daily Newspaper - All Editions) and
- Jansatta (Hindi Language Daily Newspaper – Delhi Edition).

Submitted for your information and records.

Thanking you,

For Affle (India) Limited**Parmita Choudhury**
Company Secretary & Compliance Officer**Affle (India) Limited**

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
EASUN PRODUCTS OF INDIA PRIVATE LIMITED OPERATING IN BUSINESS OF
CIVIL WORKS FOR ELECTRICITY CABLING AND WIRING SUPPLY AT TAMIL NADU.
(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

| RELEVANT PARTICULARS | |
|---|---|
| 1. Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/ LLP No. | Easun Products of India Private Limited. Pan No.: AAACE7384C CIN: U51102TN1964PTC005248 |
| 2. Address of the registered office | Temple Tower 6th Floor, 672, Annasalai Chennai - 35, Tamil Nadu - 600035. |
| 3. URL of website | Not Available |
| 4. Details of place where majority of fixed assets are located | Chennai |
| 5. Installed capacity of main products/ services | Not Available |
| 6. Quantity and value of main products/ services sold in last financial year | Quantity: Not Applicable Total Receipt: Rs. 39.44, 938/- (As per Audited Financials for FY 2021-22). |
| 7. Number of employees/ workmen | Nil |
| 8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at: | All Documents can be obtained by sending email at Process E-mail id: cip.easunproducts@gmail.com |
| 9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at: | Can be obtained by sending email at Process E-mail id: cip.easunproducts@gmail.com |
| 10. Last date for receipt of expression of interest | 16/01/2023 |
| 11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants | 26/01/2023 |
| 12. Last date for submission of objections to provisional list | 31/01/2023 |
| 13. Process email id to submit EOI | cip.easunproducts@gmail.com |

1) All the EOI's received will be reviewed by RP as well as the COC and thereafter further information/documents related to the process will be provided to the shortlisted parties. The RP/COC shall have discretion to change the criteria for the EOI at any point of time.
2) RP/COC reserves the right to cancel or modify the process/application/timeline without assigning any reasons and without any liability whatsoever.
3) Further details are set out in detailed Invitation of Expression of Interest (EOI), which are to be read together with associated disclaimers and qualifications in EOI.

SD/-
Ravindra Chaturvedi
Resolution Professional
Reg. No.: IBBI/PA-001/IP-P00792/2017-2018/11359
AFA Valid Till - 23.11.2023
Reg. Add: 31E, BKC Centre, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai City, Maharashtra, 400053
For Easun Products of India Private Limited

JULLUNDUR MOTOR AGENCY (DELHI) LIMITED
CIN: L35999HR1998PLC033943
Regd. Office: 458-1/16, Sohna Road, Opp. New Court, Gurugram - 122001
Ph. No.: 0124-3019210, 211, 4233867-70.
Website: www.jmaindia.com Email: info@jmaindia.com

NOTICE TO THE EQUITY SHAREHOLDERS
Sub: Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") on 28th February, 2017, the Company is required to transfer all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") maintained by the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority").

Adhering to the various requirements set out in the IEPF Rules, the Company is communicating individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF, at their latest available address registered with the Company and full details of such shareholders and shares due for transfer to the IEPF are being uploaded on its website at www.jmaindia.com.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 18th March, 2023 or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the IEPF Rules, transfer the shares to the IEPF by the due date as stipulated in the IEPF Rules, without any further notice as per procedure stipulated in IEPF Rules which are as under:

i) In case shares held in physical form: by issuance of duplicate share certificate(s) and thereafter by informing the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into DEMAT form and transfer in favour of the IEPF Authority.

ii) In case shares are held in demat mode: by informing the depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer of the shares in favour of the IEPF Authority.

The Concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said share(s) along with the dividend(s) from IEPF after following the procedure prescribed under the IEPF Rules. No claim shall, however, lie against the Company in respect of the said unclaimed dividends and the shares transferred as above.

For any queries on the subject matter, you may write/contact to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s MAS Services Limited T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi 110 020, Phone: 011-26387281/82/83, Fax: 011-26387384, Email: investor@masserv.com and/or to the Company at abovementioned registered office or email: info@jmaindia.com.

By Order of the Board of Directors of
Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited
SD/-
Ramkesh Pal
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: 14th December, 2022

NMDC LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
"Khanji Bhavan", 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad, Telangana-500028.
Ph : 040-23538713-21, Fax : 040-23538769
CIN : L13100TG1958G001674.

PUBLIC NOTICE
E-auction sale of Off-Grade Pellets

NMDC will hold online auction sale for the following "Product" on FOT basis through e-auction process from NMDC Donimalai Plant, Bellary, Karnataka on "AS IS WHERE IS BASIS AND NO COMPLAINT BASIS".

For further details and to download the detailed e-auction catalogue, all interested buyers are requested to visit NMDC website (www.nmdc.co.in) and website of our service provider M/s. MSTC Ltd. (www.mstcindia.co.in) / www.mstcecommerce.com).

For further information of the proposed e-auction, interested buyers are requested to contact Executive Director (Commercial) on 040-23538760 at Hyderabad; Project Manager, Donimalai Plant on 08395-274624 and Manager (Commercial) on 91-9963929995.

For information regarding registration for the proposed e-auction, interested buyers are requested to contact Mr. Siddharth Varadi, Assistant Manager (MSTC Ltd.) on 040-23301049; Mob : 9515076275.

PRODUCT : OFF GRADE PELLETS :
Specifications : (Fe 63% +/- 0.5%)
Quantity : 15000 T lots of 1000T each
Location : Donimalai Pellet Plant, Bellary, Karnataka
Bidding Basis : FOT, Donimalai Pellet Plant
Auction Date : 23-12-2022 from 15:00 to 17:00 Hrs.

Executive Director (Comm)

affle
AFFLE (INDIA) LIMITED
Registered Office : A47 Lower Ground Floor,
Off Amar Bhawan Hauz Khas, New Delhi - 110016
(W) www.affle.com, Email: compliance@affle.com, (P) 0124-4598749
CIN: L65990DL1994PLC408172

NOTICE UNDER SECTION 201 OF THE COMPANIES ACT, 2013
Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 201 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder that an application is being made by the Company to the Central Government under Section 196 read with Schedule V and other applicable Sections/ Rules, if any, for the appointment of Mr. Anuj Khanna Sohumi (DIN: 01363666) as the Managing Director of the Company with effect from April 1, 2023 for a period of 5 (Five) consecutive years. The approval is being sought since Mr. Anuj Khanna Sohumi is a non-resident Indian.

For and on behalf of the Board of
Affle (India) Limited
Sd/-
Parmita Choudhury
Date: December 13, 2022 Company Secretary and Compliance Officer
Place: Gurugram Membership No. A26261

PGIM India Asset Management Private Limited
4th Floor, C wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 6159 3000, Fax: +91 22 6159 3100
CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446
Website: www.pgimindiamf.com

NOTICE CUM ADDENDUM**NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENTS ('SIDs') AND KEY INFORMATION MEMORANDUMS ('KIMs') OF CERTAIN SCHEMES ('SCHEMES') OF PGIM INDIA MUTUAL FUND ('PGIM INDIA MF')**

PGIM India Mutual Fund ("PGIM India MF") currently has the following Overseas Fund of Fund schemes which invests into the funds managed by its parent entity, PGIM Investments, through their UCITS platform domiciled in Ireland. Following are the underlying funds of Fund schemes:

| Name of Overseas Fund of Fund Scheme | Underlying Fund |
|--|---|
| PGIM India Global Equity Opportunities Fund | PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund, USD I Accumulation |
| PGIM India Emerging Markets Equity Fund | PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund, USD W Accumulation |
| PGIM India Global Select Real Estate Securities Fund of Fund | PGIM Global Select Real Estate Securities Fund, USD I Accumulation. |

All of the above-mentioned underlying funds are accumulation funds wherein the dividend income as well as the capital appreciation is built in into the NAV of the fund.

Starting April 2020, the Finance Act, amended the taxation on dividends received by an investor. Dividends received by an investor until March 2020 were tax free in the hands of the investor as the company declaring dividends were bound to pay Dividend Distribution Tax ("DDT") at the rate of 25% (plus applicable surcharge & cess) on the same before declaration whereas post the change in the regulations, DDT was withdrawn, making all dividends taxable at the hands of the investor at their applicable slab rates. This has in effect made dividends less attractive for the investors in the highest tax bracket, as far as taxation is concerned. Furthermore, being a fund of fund scheme, minimum 95% of the AUM of the domestic scheme is invested in the underlying scheme leaving none to very little scope for the domestic Fund Manager to make relevant investments domestically to generate dividend income for the investors.

With a view to simplify and rationalize our product offerings and to align the domestic scheme with the features of the underlying scheme, PGIM India Asset Management Private Limited and PGIM India Trustees Private Limited, the asset management company and trustee company of PGIM India MF have decided to merge the Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (IDCW) option of the Schemes with their respective Growth option as under:

| Name of Overseas Fund of Fund Scheme | Name of the Transferor Plans/options | Name of Transferee Plans/options under which Transferor options will be merged |
|--|--------------------------------------|--|
| PGIM India Global Equity Opportunities Fund | Regular Plan - IDCW Option | Regular Plan - Growth Option |
| PGIM India Global Equity Opportunities Fund | Direct Plan - IDCW Option | Direct Plan - Growth Option |
| PGIM India Emerging Markets Equity Fund | Regular Plan - IDCW Option | Regular Plan - Growth Option |
| PGIM India Emerging Markets Equity Fund | Direct Plan - IDCW Option | Direct Plan - Growth Option |
| PGIM India Global Select Real Estate Securities Fund of Fund | Regular Plan - IDCW Option | Regular Plan - Growth Option |
| PGIM India Global Select Real Estate Securities Fund of Fund | Direct Plan - IDCW Option | Direct Plan - Growth Option |

It may be noted that wherever the Distributor Code is Direct, or not mentioned, such balances if any, will be merged into the Direct Plan. Investments made through distributors with wrong/invalid/incomplete ARN codes will be merged into the "Direct Plan". Only investments with valid ARN codes will be merged into the "Regular Plan".

As a result of the above merger, no new plans/options will come into effect. On the date of completion of merger, the Transferor Plans/Options will cease to exist and the unit holders of Transferor Plans/ Options as on the Effective Date will be allotted units under the corresponding option, as mentioned above, of Transferee Options at the last applicable Net Asset Value ("NAV"). In case of any pledge / lien / other encumbrance marked on any units in Transferor Options, the same shall be marked on the corresponding number of units allotted in Transferee Options. It may be noted that there are no other changes in the Schemes.

The expenses related to the proposed merger as outlined above will not be charged to the unit holders of the Schemes.

The Boards of Directors of PGIM India Asset Management Private Limited and PGIM India Trustees Private Limited on July 28, 2022 and July 29, 2022, respectively, approved the proposal for merger of IDCW Options with Growth Options of the above Schemes of PGIM India MF. Further, SEBI, vide its email dated November 16, 2022, has provided it's no objection to the aforesaid proposal.

Accordingly, this Notice serves as a communication to the unit holders of the Schemes concerned about the Fundamental Attribute Changes as described above and each unit holder of the Schemes concerned is hereby given an option to exit his / her / its investment from the Schemes of PGIM India MF at the prevailing NAV without exit load, if any. A detailed communication to unit holders of the Schemes will be sent through an appropriate mode of communication i.e. by email wherever email ids are registered and by post/courier wherever email ids are not registered.

In line with the regulatory requirements, for Schemes where a change in fundamental attribute change is being proposed, an exit window ("Exit Option") of 30 days is provided to the Unit holders starting from December 22, 2022 to January 20, 2023 (both days inclusive) ("Exit Option Period"). These changes will be effective from January 21, 2023 ("Effective Date"). During the Exit Option Period, unit holders not consenting to the change may either switch to any other scheme of PGIM India MF or redeem their investments at applicable Net Asset Value without payment of exit load subject to provisions of applicable cut-off time as stated in the Scheme Information Document of the relevant Schemes. All transaction requests received on or after January 21, 2023, will be subject to applicable exit load (if any), as may be applicable to the Schemes mentioned above.

Redemption / Switch requests, if any, may be lodged at any of the Official Points of Acceptance of PGIM India MF or the Registrar and Transfer Agent of PGIM India MF viz. KFin Technologies Limited. The above information is also available on the website of PGIM India MF viz., www.pgimindiamf.com. Unit holders who have pledged / encumbered their units will not have the option to exit unless they submit a letter of release of their pledges / encumbrances prior to submitting their redemption / switch requests. Investors who have registered for Systematic Investment Plan (SIP) in the Scheme/s and who do not wish to continue their future investments must apply for cancellation of their SIP registrations. The redemption amount will be credited to the unit holders bank account (as registered in the records of the Registrar) within 10 (ten) working days from the date of receipt of redemption request.

It may be noted that the offer to exit is purely optional and not compulsory. If the Unit holder has no objection to the aforesaid change, no action is required to be taken and it would be deemed that such Unit holder has consented to the aforesaid change. In case you require any further information / assistance please contact:

| | |
|--|---|
| PGIM India Asset Management Pvt. Ltd. 4 th Floor, C Wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051; Telephone No. 1800 266 2667 E-mail: care@pgimindia.co.in | KFin Technologies Ltd. (Registrar) Unit - PGIM India Mutual Fund, 9 th Floor, Capital Towers, 180, Kodambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034. |
|--|---|

This Notice-cum-Addendum forms an integral part of SIDs and KIMs of the relevant Schemes of PGIM India MF, as amended from time to time. All the other terms and conditions of SIDs and KIMs of the above-mentioned Schemes of PGIM India MF will remain unchanged.

For PGIM India Asset Management Private Limited
(Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place : Mumbai
Date : December 13, 2022

Sd/-
Ajit Menon
Chief Executive Officer

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Mutual Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") payments.

**MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS,
READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.**

Nippon India Mutual Fund
Wealth sets you free

Nippon Life India Asset Management Limited
(CIN - L65910MH1995PLC220793)
Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013. Tel No. +91 022 6808 7000
Fax No. +91 022 6808 7097 • mf.nipponindiamf.com

**Record Date
December 19, 2022**

NOTICE NO. 65

Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund ("NIMF") has approved the following Distribution under Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) plans of undernoted schemes of NIMF, with December 19, 2022 as the record date:

| Name of the Scheme(s) | Amount of Distribution (₹ per unit)* | NAV as on December 12, 2022 (₹ per unit) |
|---|--------------------------------------|--|
| Nippon India Short Term Fund - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 0.1823 | 14.6945 |
| Nippon India Short Term Fund - Direct Plan - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 0.2132 | 15.0379 |
| Nippon India Low Duration Fund - Retail Plan - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 13.1349 | 1023.2435 |
| Nippon India Low Duration Fund - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 13.3381 | 1023.3343 |
| Nippon India Low Duration Fund - Direct Plan - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 15.0251 | 1025.1071 |
| Nippon India Income Fund - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 0.2298 | 12.9947 |
| Nippon India Income Fund - Direct Plan - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 0.2754 | 13.6928 |
| Nippon India Floating Rate Fund - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 0.1420 | 10.8490 |
| Nippon India Floating Rate Fund - Direct Plan - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 0.1441 | 10.7393 |
| Nippon India Liquid Fund - Retail Plan - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 16.4766 | 1228.8741 |
| Nippon India Liquid Fund - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 15.1104 | 1016.1932 |
| Nippon India Liquid Fund - Direct Plan - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 15.5076 | 1018.2731 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option^ | 13.5832 | 1022.5760 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option^ | 15.7209 | 1030.8497 |
| Nippon India Money Market Fund - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 15.1374 | 1023.0440 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct Plan - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 15.4681 | 1023.2931 |
| Nippon India Banking & PSU Debt Fund - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 0.1233 | 10.6490 |
| Nippon India Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 0.1346 | 10.7035 |
| Nippon India Overnight Fund - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 1.4384 | 101.5871 |
| Nippon India Overnight Fund - Direct Plan - IDCW Plan - Quarterly IDCW Option | 1.4608 | 101.6094 |

*Income distribution will be done, net of tax deducted at source, as applicable.

^Number of Segregated Portfolio - 1

Face value of all the above mentioned Schemes is Rs. 10 per unit except for Nippon India Low Duration Fund, Nippon India Liquid Fund, Nippon India Ultra Short Duration Fund & Nippon India Money Market Fund which is Rs.1000 per unit and Nippon India Overnight Fund which is Rs.100 per unit.

Pursuant to payment of dividend/IDCW, the NAV of the Schemes will fall to the extent of payout, and statutory levy, if any. The IDCW payout will be to the extent of above mentioned Distribution amount per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower.

For units in demat form : IDCW will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under the IDCW Plan/Option of the Schemes as on record date.

All unit holders under the IDCW Plan/Option of the above mentioned schemes, whose names appear on the register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the IDCW.

For Nippon Life India Asset Management Limited
(Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)

Mumbai
December 13, 2022

Sd/-
Authorised Signatory

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पार्ल, मुम्बई-40013
 शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एमसीओ-20, 2सरा तल, सेक्टर-26-ए, चण्डीगढ़ 160012

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
 (प्रतिभूति हित प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के तहत)
 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित विनियम आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जनसामान्य को और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदार) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएफएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा टीसीएफएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से कुल राशि की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है", "जो है जैसे है", "जो है जैसा है" और "जो भी है वहाँ है" के आधार पर 06.01.2023 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है।
 एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आश्चर्य/असततता की अनुपस्थिति में, आस्ति/सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा कथित 06.01.2023 को 2 बजे अप. की जायेगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ईम्पट्री के डिमांड ड्राफ्ट वाला मुरहबन्द लिम्बटा टीसीएफएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास शाखा पता टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एमसीओ-20, 2सरा तल, सेक्टर-26-ए, चण्डीगढ़ 160012 पर 05.01.2023 को 5 बजे अप. तक जमा करना है।
 प्रत्येक आस्ति/अचल सम्पत्ति की बिक्री "जहाँ है जैसे है स्थिति" में नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार की जायेगी।

| क्र. सं. | श्रेण ख़ाता सं. | व्यक्तिगत/वै. सह-कर्जदार (वै.)/विकिक उत्तराधिकारी (वै.)/विकिक प्रतिनिधि (वै.)/जमानती (वै.) के नाम | मौल्य सूचना के अनुसार बकाया राशि | आवृत्त मूल्य | जमा धरोहर राशि |
|----------|-----------------------|---|--|---|---|
| 1. | 10236 207 & 10663 614 | श्रीमती मालिका जैन, श्री मन्दीप जैन | रु. 32,71,366/- (रुपये बत्तीस लाख इकहतर हजार तीन सौ छियासठ मात्र) आपके द्वारा अनुबंध संख्या 10236207 के तहत देय और बकाया है, और रुपये 3,60,796/- (रुपये तीन लाख सठ हजार सात सौ छठ्ठावन मात्र) आपके द्वारा अनुबंध संख्या 10663614 के तहत बकाया एवं देय है, कुल रु. 36,32,162/- (रुपये छत्तीस लाख बत्तीस हजार एक सौ बसठ मात्र) | रु. 29,50,000/- (रुपये उनतीस लाख पचास हजार मात्र) | रु. 2,95,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) |

अचल सम्पत्ति का विवरण : प्लॉट नंबर 07-05-03 (टॉवर नंबर 7, प्लॉट नंबर 5, प्लॉट नंबर 03) का सम्पूर्ण भाग, 1323 वर्ग फुट सूर्य परिया के साथ, कार पार्किंग स्पेस नंबर ओपी-220, ओपी-221, "रमनागड कैंट" आवास योजना में स्थित, सेक्टर-63, गांव रसोई, नामग कलां और बच खालसा, उप-तहसील राय और जिला सोनीपत, हरियाणा, जिस प्रभ में प्लेट स्थित है, उसके नीचे की भूमि में अनुष्णतिक, परिवहन, अविभाज्य हिस्से के साथ-साथ कॉमन क्षेत्रों और सुविधाओं में अनुष्णतिक अधिकारों के साथ-साथ उक्त प्लेट के लिए सभी राशियाँ, जैसे, नॉन, ईन्वेस्ट और सम्बद्ध शामिल।

बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कर्जदार (रौ)/सह-कर्जदार (रौ) को एतद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर भागी ब्याज सहित कुल बकाया भुगतान करने का अनिमत अनुरोध दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री अनुसूची के अनुसार कर दी जायेगी। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोस्ताक्षरी के पास नीलामी की तिथि से पूर्व जमा कर दिए होंगे का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अतिथि या अतिथि करने का प्रयास नहीं करेंगे।

यदि बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी।
 नोट : ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पॉटेंट www.eauction.123done.in के माध्यम से 06.01.2023 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच आयोजित की जायेगी।

नियम एवं शर्तें : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट धिवरण अधोस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोलों राशि अथवा बोलोदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अचल सम्पत्ति को अधिकृत प्राधिकारी के विवेकानुसार फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोलों वृद्धि राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में देय शाखा कार्यालय में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि जमा करनी जायेगी। अक्षरफल बोलोदाता का डिमांड ड्राफ्ट नीलामी के परचाता वापस लौटा दिया जायेगा। एमईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईमईडी के भुगतान हेतु कृपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम बोलोदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा यद्यपि वे कानूनी रूप से बोलों करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपायीय होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोस्ताक्षरी स्पेच्छा से उच्चतम बोलों को अस्वीकार कर सकते हैं। 6. दर्ज कार्यों से प्राधिकृत अधिकारी को स्पेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/रोकने का अधिकार है। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 22.12.2022 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. तक पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है। 8. सफल सविदाकार घोषित किये गये क्रेता को ऐसी घोषणा के तुरन्त बाद 24 घण्टों के भीतर प्राधिकारी अधिकारी के पास क्रय मूल्य/सविदा का पन्नीस प्रतिलिखित जिसमें ईम्पट्री राशि शामिल होगी, भुगतान करना होगा तथा उर्रेम विफल होने पर सम्पत्ति को फिर से निजी सन्धि द्वारा नीलामी/बिक्री की जायेगी। 9. यदि उपरोक्त रूप में आरक्षित जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रहवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा। 10. उपरोक्त अध्वि में भुगतान में चुक करने पर नीलामी/बिक्री को उद्घोषणा जारी करने के बाद निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति को फिर से बिक्री की जायेगी। ईम्पट्री सहित जमा की गई राशि एतद्वारा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जल कर दी जायेगी तथा चुक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के सभी दावों से बर्हित हो जायेगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्पत्ति के प्रति देय अधिकारों की जानकारी का विवरण सूचना, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञान विवरण : उपर्युक्त तालिका के अनुसार। इच्छुक सविदाकार को सांख्यिक दायित्व, सम्पत्ति कर, विचली आदि के बकायों सहित सम्पत्ति पर श्रेणधारों से सम्बन्धित अपनी निजी स्वतन्त्र पड़ताल कर लेने का परामर्श दिया जाता है। 12. अन्य विवरणों अथवा अनिश्चयन ई-नीलामी प्रक्रिया पर परिष्कार के लिए सम्बन्धित बोलोदाता हमारे सेवा प्रदाता कल्पना बैंक/एचडी, आरबीओ एम्प्लॉयमेंट (प्रा.) लिमिटेड, पता 317, उत्तर तल, नोएडा-20 नगर लिटिगेंट, टॉवर-बी, सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.)-201301, मोबाइल नं. +91 7428993237, ई-मेल : kalpana.b@123done.in अथवा मनीष बंसल, ई-मेल आईडी : Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत प्राधिकारी, मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क करें। कृपया अपनी पड़ताल स्वयंप्रयत्न नगर : 9999078669 पर संयोजित कर सकते हैं। उच्चतम सविदाकार को उच्चतम बोलित सविदा राशि पर 1% टीडीएस प्रमाण्य एवं देय होगा। यह भुगतान उच्चतम सविदाकार द्वारा स्वामी/कर्जदार (रौ) के बैंक में जमा करनी होगी तथा चालान की प्रतिलिखित हस्ताक्षरों के पास जमा करनी होगी।

13. उपर्युक्त विवरण के लिए कृपया प्रतिभूति लेनदार को वेबसाइट <https://bit.ly/3Yc2Cxb> में नगरपालिका लिंक देखें।
कृपया ध्यान दें : टीसीएफएफएल ने इस सम्पत्ति की बिक्री/नीलामी हेतु उल्लिखित नीलामी सहायक के अतिरिक्त किसी जोकर/एजेंट को नहीं नियुक्त किया है। इच्छुक सविदाकार केवल अधोस्ताक्षरी या अधिकृत प्राधिकारी से इस मामले में सभी पड़ताल एवं जानकारी के लिए सम्पर्क करें।
 स्थान : सोनीपत
 तिथि : 14.12.2022

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

affle
एफल (इंडिया) लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : ए 47 टोवर ग्राउंड फ्लोर, अमर भवन
 हौज खास, नई दिल्ली - 110016
 वेबसाइट: www.affle.com, ईमेल: compliance@affle.com
 फोन: 0124-4598749, CIN: L65990DL1994PLC408172

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 201 के तहत नोटिस
 कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और इसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा केंद्र सरकार को अनुसूची V और अन्य लागू अनुभागों/नियम यदि कोई हो, के साथ पठित धारा 196 के तहत श्री अनुज खन्ना सोहम (डीआईएन: 01363666) की नियुक्ति 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी 5 (पांच) लगातार वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में करने के लिए आवेदन किया जा रहा है, क्योंकि श्री अनुज खन्ना सोहम एक अनिवासी भारतीय हैं।

हिले एवं कृते बोर्ड
एफल (इंडिया) लिमिटेड
 हस्ता-
 परमिता चौधरी
 कंपनी सचिव सह अनुपाल अधिकारी
 सदस्यता सं: A26261

दिनांक: 13 दिसंबर, 2022
 स्थान: मुद्राग्राम

चौलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
 कॉर्पोरेट कार्यालय: 1ता एच 2रा तल, प्लॉट नं. 2, एन.एस.सी. बस रोड, चेन्नई-600001
 शाखा कार्यालय: 1ता एच 2रा तल, प्लॉट नं. 6, मैन पूजा रोड, कोलायाम, नई दिल्ली-110005

नियम 8 (1) के अंतर्गत कब्जा सूचना

जैसा कि, विनियम परिष्कारण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, बतों के बाद अधिनियम वर्धित, के अंतर्गत मैं, चौलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत उक्त प्राधिकृत का प्रयोग करते हुए अधोस्ताक्षरी ने मैंने सूचना कानून (7) में वर्णित विधिक को प्राधिकृत कर नीचे वर्णित (ख) में जिनके नाम दर्शाये गये हैं, उन श्रेणधारियों को उक्त सूचना की प्राधिकृत की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि को कानून (7) में दर्शाई गई है, के साथ उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
 श्रेणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा श्रेणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कानून (7) में वर्णित संबंधित विधियों को कानून (7) में वर्णित कानूनी के पास विनियम अधिनियम को उसके अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्तन प्राधिकृत का प्रयोग करते हुए अधोस्ताक्षरी ने कब्जा कर लिया है।

नियम रूप से श्रेणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सूचना किता जाता है कि वे यहाँ नीचे कानून (8) में वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय करना तथा उनका प्रयोग के साथ कानून (7) में वर्णित राशि के लिये अधोस्ताक्षरी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के 3 के भाग में शामिल होना।
 प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13(6) के अंतर्गत श्रेणधारक सभी लागू शर्तों के साथ बिक्री की अधिसूचना के पूर्व सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर प्रतिभूति परिसम्पत्ति को विनियमित कर सकते हैं।

| क्रम सं. | श्रेणधारक का नाम एवं श्रेण धारता संख्या | मांग सूचना तिथि | बकाया राशि | कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण | कब्जा की तिथि |
|----------|--|-----------------|---------------------|---|----------------------------|
| (अ) | (ब) | (ग) | (घ) | (ङ) | (च) |
| 1. | श्रेण धारता सं. X0HEDHE00001252922 1. वन्दन कुमार संख्या-176ए, गली नं. 5 एवं 6, भुलत, कृष्ण पार्क, तिक्त नगर, नई दिल्ली-110018 | 12.6.2021 | रु. 5,60,7,388.31/- | ग्राम नंगली जालवा, कृष्णा पार्क, गली नं. 5 एवं 6, नई दिल्ली में स्थित प्लॉट नं. 176, एरिया माप 75 वर्ग यार्ड्स (लगभग), खसरा नं. 3 के भाग में शामिल रहे, डब्ल्यूजेड-176-ए के भूतल का सभी भाग तथा हिस्सा। | 12-दिसंबर, 2022 प्रीतिक |
| | 2. श्रीमती उमा प्लॉट नं. 16सी, एच-ब्लॉक, तिक्त विहार, तिक्त नगर, नई दिल्ली-110018 | | | | |
| | 3. परवती कुमारी डब्ल्यूजेड-176, गली नं. 5, कृष्णा पार्क, नई दिल्ली-110018 | | | | |

तिथि: 14.12.2022, स्थान: दिल्ली
 प्राधिकृत अधिकारी: चौलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
 ...the name you can BANK upon!
 (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

अचल सम्पत्ति के प्रतिभूति हित, प्रथम तल, भीकाजी शास्त्री प्लेस, नई दिल्ली-110066, ई-मेल : zs8343@pnbc.co.in

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अंतर्गत यह सूचना जारी की जाती है।
 एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित उधारकर्ताओं ने बैंक से प्राप्त श्रेण सुविधा के मूलभूत और ब्याज के पुनर्निर्माण में चुक की है और श्रेणों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हे उनके अंतिम शांत पते पर प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 का प्रावधान की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया गया है और इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

| खाते का नाम | सम्पत्तियों का विवरण / प्रतिभूति आस्तियों का पता | मांग सूचना की तारीख | बकाया राशि |
|---|--|---------------------------------|--|
| मैसर्स स्टारलिट पावर सिस्टम्स लि., ए-1/51, सफदरजंग एक्लेव, नई दिल्ली-110029 (उद्यार्थकता) और औद्योगिक भूमि, संपत्ति अट्टा, जिला मेवात, हरियाणा- 122107 (उद्यार्थकता) | प्लॉट एवं मशीनरी का दृष्टिबंधक वर्तमान और भविष्य दोनों, तथा पीएनबी द्वारा आवश्यक रूप और तरीके से | 06-12-2022 | रु. 32,13,98,126.73 और पूर्ण चुकोती की तिथि तक भविष्य का ब्याज |
| मैसर्स स्टारलिट फाइनेंस लिमिटेड, ए-1/51, एलजीएफ, सफदरजंग एक्लेव, नई दिल्ली- 110029 (गारंटर) | प्रथम प्रभारित दृष्टिबंधक के माध्यम से कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल, उपभोग्य स्टील और पुराजों के संपूर्ण स्टॉक और अन्य | एनपीए की तिथि 30-09-2021 | |
| मैसर्स स्टारलिट इंडस्ट्रियल ग्रुप लि., ए-1/51, एलजीएफ, सफदरजंग एक्लेव, नई दिल्ली- 110029 (गारंटर) | प्रथम प्रभारित दृष्टिबंधक के माध्यम से कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल, उपभोग्य स्टील और पुराजों के संपूर्ण स्टॉक और अन्य | | |
| श्री सुरेश प्राल पुत्र हरचंद लाल कुमार, 161, सैफिक विहार, नई दिल्ली-110034 (गारंटर) | प्रथम प्रभारित दृष्टिबंधक के माध्यम से कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल, उपभोग्य स्टील और पुराजों के संपूर्ण स्टॉक और अन्य | | |
| श्री यशोधा कुमारी गुप्ता, बीडी-2/100-बी, सैफिक पुरी, नई दिल्ली- 110018 (गारंटर) | प्रथम प्रभारित दृष्टिबंधक के माध्यम से कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल, उपभोग्य स्टील और पुराजों के संपूर्ण स्टॉक और अन्य | | |
| श्री. ए.एस. मीनानी कुमार पुत्र सत्य वाम शर्मा, 161, सैफिक विहार, नई दिल्ली- 110034 (गारंटर) | प्रथम प्रभारित दृष्टिबंधक के माध्यम से कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल, उपभोग्य स्टील और पुराजों के संपूर्ण स्टॉक और अन्य | | |
| मैसर्स प्रसांत कर्मोडिटीज प्रा. लि., 80ए, चौरंगी रोड, दूसरी रोड कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700020 (गारंटर) | प्रथम प्रभारित दृष्टिबंधक के माध्यम से कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल, उपभोग्य स्टील और पुराजों के संपूर्ण स्टॉक और अन्य | | |
| श्री सचिन श्रीवर्ध, ए-1/90, तुलसी तल, सफदरजंग एक्लेव, नई दिल्ली- 110029 (गारंटर) | प्रथम प्रभारित दृष्टिबंधक के माध्यम से कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल, उपभोग्य स्टील और पुराजों के संपूर्ण स्टॉक और अन्य | | |
| श्री संजीव मलिक, एके-36621, भुलत, आवासीय कॉलोनी, सॉल्ट ब्रिज-111, इंदरपुर, गाजियाबाद- 201014. (गारंटर) | प्रथम प्रभारित दृष्टिबंधक के माध्यम से कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल, उपभोग्य स्टील और पुराजों के संपूर्ण स्टॉक और अन्य | | |
| श्रीमती मुक्ति श्रीवर्ध, ए-1/90, तुलसी तल मण्डल, सफदरजंग एक्लेव, नई दिल्ली- 110029 (गारंटर) | प्रथम प्रभारित दृष्टिबंधक के माध्यम से कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल, उपभोग्य स्टील और पुराजों के संपूर्ण स्टॉक और अन्य | | |

सूचना प्रदान करने हेतु वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार(रौ) तथा उनके गारंटर(रौ) (जहां कहीं लागू है) को बकाया राशि का भुगतान इस मांग सूचना की तिथि 06.12.2022 से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, जिसमें अदरकल वगैरे की विधिति में, मांग सूचना की तिथि 06.12.2022 से 60 दिन की समाप्ति के पश्चात, आगे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।
 *यह नोटिस डीआरटी/व्याजालय, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध कानूनी कार्रवाई करने वाले बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जाता है।
 *यह नोटिस डीआरटी/कोर्ट के सम्बन्ध लखित मुकदमे/मुकदमे में बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जाता है।

दिनांक: 13-12-2022, स्थान: नई दिल्ली
 प्राधिकृत अधिकारी: पंजाब नैशनल बैंक

विल्क्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नं. 23, उवा तल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंदर प्लेस, नई दिल्ली-110008

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत विल्क्स कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड को चार्ज की गई चल अचल संपत्तियों की निजी संधि बिक्री के माध्यम से बिक्री की सूचना।

विल्क्स कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (इसलिए "CLIX" के रूप में जाना जाएगा) के अधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अनुसूचित संपत्ति (संपत्तियों) पर कब्जा कर लिया है। बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूचित में उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियां निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, "जैसा है जहाँ है आधार पर" और "जो है जैसा है" और "बिना संसाधन के आधार" पर CLIX के बकाया की वसूली के लिए CLIX से सहमत शर्तों के अनुसार।

| क्र. सं. | संपत्ति के स्वामी का नाम (शीर्षक विलेख धारक/धारक) | संपत्ति / संपत्तियों का विवरण | हात भार, यदि कोई हो | आरक्षित मूल्य | ईएमडी राशि |
|----------|--|---|---------------------|-----------------|----------------|
| 1. | संजीव कुमार, 2. प्रमोद कुमार, 3. दीपिका, सभी निवासी : सी-58, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, लोन अकाउंट नं. (00070892120010001), मांग सूचना की बकाया राशि : प्रतिक 25.08.2021 तक देय रु. 72,84,086/- | संपत्ति नं. बी-58, उत्तम भुलत, (रिसर हाउस / ईस्टन साइड पार्क) | जैसा है जहाँ है | रु. 46,00,000/- | रु. 4,60,000/- |
| | | मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 के सभी भाग। | के आधार पर | 46,00,000/- | 4,60,000/- |

निजी संपत्ति के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:

- निजी संपत्ति के माध्यम से बिक्री "जहाँ है जैसा है" और "जो है जैसा है" और "बिना संसाधन के आधार" पर होगा।
- क्रेता को बिक्री प्रतिकूल का 25% संपत्ति की खरीद के प्रस्ताव की CLIX की स्वीकृति की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस पर और शेष राशि उसके बाद 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। **ईएमडी राशि "विल्क्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड", खाता संख्या 341990500665-आरटीजीएस/आईसीआईसीआई बैंक, खाता नाम : "विल्क्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड" IFSC Code ICICI0003419 ("ई-नीलामी खाता") के पक्ष में एनईएफटी / आरटीजीएस / फंड ट्रांसफर के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।**
- क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10% मालिक को जमाना जिस उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा की जाने वाली 25% राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
- उपरोक्त खंड (2) के तहत आवश्यक राशि का 10% सहित पहले से भुगतान की गई राशि को जन्म कर लिया जाएगा।
- CLIX** द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के ऋणों के साथ बेच जा रहा है, चाहे वह **CLIX** को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी / सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के ऋणों / अधिकारों / बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति से संबंधित सभी फलसुओं (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) पर उचित परिष्कार करना चाहिए। क्रेता इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूति लेनदार के विरुद्ध बाद में कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- CLIX** के पास बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- एक से अधिक संपत्ति के मामले में, **CLIX** उच्चतम ऑफर स्वीकार करेगा। यदि उच्चतर बोलोदाता उपरोक्त खंड (2) के अनुसार शेष राशि जमा करने में विफल रहता है, तब **CLIX** दूसरे उच्च प्रस्ताव का अनुग्रह और स्वीकार कर सकता है।
- इच्छुक पक्ष अधिक विवरण / स्पष्टीकरण और अपना आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
- संपत्ति की खरीद के संबंध में खरीदार को सभी स्ट्याप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क वहन करना पड़ता है।
- बिक्री सरफेसी अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

दिनांक : 14.12.2022, स्थान : नई दिल्ली
 प्राधिकृत अधिकारी, विल्क्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

विल्क्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नं. 23, उवा तल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंदर प्लेस, नई दिल्ली-110008

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत विल्क्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को चार्ज की गई चल अचल संपत्तियों की निजी संधि बिक्री के माध्यम से बिक्री की सूचना।

विल्क्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसलिए "CLIX" के रूप में जाना जाएगा) के अधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अनुसूचित संपत्ति (संपत्तियों) पर कब्जा कर लिया है। बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूचित में उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियां निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, "जैसा है जहाँ है आधार पर" और "जो है जैसा है" और "बिना संसाधन के आधार" पर CLIX के बकाया की वसूली के लिए CLIX से सहमत शर्तों के अनुसार।

| क्र. सं. | संपत्ति के स्वामी का नाम (शीर्षक विलेख धारक/धारक) | संपत्ति / संपत्तियों का विवरण | हात भार, यदि कोई हो | आरक्षित मूल्य | ईएमडी राशि |
|----------|--|--|---------------------|-----------------|----------------|
| 1. | श्री ओम प्रकाश सारदा और श्रीमती अर्पिता देवी सारदा, दोनों निवासी : मकान नं. 1/6249, गली नं. 3, पूर्वी गेटवाय नगर, शाहदर, दिल्ली-110032, यहाँ भी : संपत्ति नं. 1/9750-ए, खसरा नं. 290 का भाग, गौतम वाकरपुर, गली नं. 1-ई, परिचम गौतम पार्क, इलाका शाहदर, दिल्ली-110032, लोन अकाउंट नं. (AC2019072324627), मांग सूचना की बकाया राशि : दिनांक 12.08.2021 तक देय रु. 53,83,877/- | संपत्ति नं. 1/9750-ए, खसरा नं. 290 का भाग, गौतम वाकरपुर, गली नं. 1-ई, परिचम गौतम पार्क, इलाका शाहदर, दिल्ली-110032, (क्षेत्रफल 50 वर्ग गज) के सभी भाग। चारदीवारी : उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- अन्य की संपत्ति, पूर्व- गली, पश्चिम- अन्य की संपत्ति। | जैसा है जहाँ है | रु. 46,00,000/- | रु. 4,60,000/- |
| | | उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- अन्य की संपत्ति, पूर्व- गली, पश्चिम- अन्य की संपत्ति। | के आधार पर | 46,00,000/- | 4,60,000/- |
| 2. | 1. हेमन्त सिंह, 2. आशा हेमन्त, दोनों निवासी : मकान नं. 1/335, तुलसी तल, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश-201012, लोन अकाउंट नं. (AC2019071117033) मांग सूचना की बकाया राशि : दिनांक 12.11.2021 तक देय रु. 24,32,294.62 | तुलसी तल, प्लॉट नं. 133-ए, खसरा नं. 366, गौतम विहार, दिल्ली राज्य दिल्ली, आबादी जो कालोनी सुभाष पार्क के नाम से जानी जाती है, ब्लॉक-बी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 (क्षेत्रफल 20 वर्ग गज) के सभी भाग। | जैसा है जहाँ है | रु. 13,77,000/- | रु. 1,37,700/- |